

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा नं० : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

नाम : श्रील

बनाम

किशोर लाल

मुकदमा

बाद - पत्रा

नं०

२१

सन् २०२२

शीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ती अवाव काउन्टर फ्लेम व अवाव उतिवली से. 08 से 15 दिनांक 06/8/24 को पेश हो। S.D.O</p> <p>06/08/2024 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग- अलग समय पर आवाज लगावाई गई वाबजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज शिफ्टर से कम की जाकर शामिल दफतर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए</p> <p>06/08/2024</p>

